<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) निदेशक,
पंचायती राज लेखा,
उ0प्र0 लखनऊ।

(3) प्र0 अधीक्षण अभियन्ता (सिविल),
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
उ०प्र० लखनऊ।

<u>पंचायती राज अनुभाग-2</u> **<u>लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2025</u>**

विषयः उ०प्र० विधान सभा एवं विधान परिषद् की समितियों की बैठकों से आच्छादित प्रकरणों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ०प्र० विधान सभा एवं विधान परिषद् की विभिन्न समितियों की साक्ष्य बैठकों में सूचीबद्ध प्रकरणों की आख्यायें/टिप्पणी समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत सम्बंधित समिति अनुभाग को समयान्तर्गत उपलब्ध न कराने पर समिति की बैठकों में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि साक्ष्य बैठक से कम से कम 04 दिवस पूर्व सूचीबद्ध प्रकरणों की अद्यतन आख्या/टिप्पणी समिति अनुभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराई जाय।

2- प्रायः यह भी देखा गया है शासन स्तर से निर्देशित किये जाने के बाद भी साक्ष्य बैठक से सम्बंधित प्रकरणों की आख्यायें निदेशालय/जनपद स्तर से शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जाती एवं कई बार उपलब्ध कराई गयी आख्यायें अत्यंत सतही एवं तथ्यपरक न होने से समिति के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है। बैठक में प्रतिभाग करने वाले जनपद के अधिकारी भी पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आते, जिससे यह परिलक्षित होता है कि उ०प्र० विधान सभा एवं विधान परिषद् की विभिन्न समितियों की बैठकों से आच्छादित प्रकरणों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही न कर लापरवाही बरती जा रही है, यह स्थिति अत्यंतत खेदजनक है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० विधान सभा एवं विधान परिषद् की विभिन्न समितियों की साक्ष्य बैठकों से सम्बंधित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराते हुए साक्ष्य बैठक हेतु सूचीबद्ध प्रकरणों की तथ्यपरक व सुविचारित आख्यायें/टिप्पणी यथावश्यक स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त संगत अभिलेखीय साक्ष्यों सहित बैठक से **कम से कम 07 कार्य दिवस पूर्व** शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दी जाय। यह भी उल्लेख किया जाय कि संबंधित प्रकरण निदेशालय अथवा क्षेत्रीय/जनपद स्तर पर शासन/विभाग या अन्य स्तर से कब प्राप्त हुआ था एवं इसमें तिथिवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले निदेशालय/अनुश्रवण कोष्ठक व जनपद स्तर के अधिकारियों की सूची/विवरण भी समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- समिति द्वारा आयोजित साक्ष्य बैठकों की तैयारी हेतु बैठक से 04 दिवस पूर्व वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की जायेगी।

5- उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 31-05-2025
15:30:10

(अनिल कुमार-III)
प्रमुख सचिव।

---.2/

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग उ०प्र०शासन।

(2) समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अपने स्तर से भी प्रकरणों का प्रभावी अनुश्रवण कराते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्ण तैयारी के साथ सुसंगत अभिलेखों सहित बैठकों प्रतिभाग हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(3) अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायतों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यथावश्यक स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त संगत अभिलेखीय साक्ष्यों सहित सुविचारित आख्या शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुए पूर्ण तैयारी के साथ बैठकों में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।

(4) जिला पंचायत राज अधिकारी समस्त जनपद।

(5) अनुभाग अधिकारी, पंचायती राज अनुभाग-1/3।

(6) गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Digitally signed by
JAI PRAKASH PANDEY
Date: 31-05-2025
15:37:52